Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

To,

The PCCF,
Office of the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF),
17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (U.P.), 226001

Subject: - REPLY TO THE EDS GENERATED ON 24.02.2021
Reference: - Proposal No.- FP/UP/Others/123646/2021

With reference to the EDS generated on 24.02.2021 please find the point-wise reply to the same: -

Sl. No.	Essential Details Sought	Reply
1.	Upload area calculation of forest land.	The Area Calculation sheet is attached as Annexure I.
2.	Forest gazette duly verified by present DFO and highlighting the proposed road.	The Forest gazette duly verified by present DFO is attached at Annexure II.
3.	Project sanction letter	The Project sanction letter is attached as Annexure III.
4.	Standard conditions	Standard conditions are attached as Annexure IV.

In view of the above, we have complied to all the EDS generated by your good office. You are requested to accept the proposal for further proceedings

Thanking You,

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

Ramesh Chandra
Assistant Engineer
Public Works Department
Ghaziabad

Place: Ghaziabad
Date: 25.02.2021

Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

ANNEXURE-I [Forest Area Calculation sheet]

Name of work - Construction Of R.C.C. Drain at Lal Bagh in Tahseel Loni, Ghaziabad.

Average Section (1.50 × 1.80)

Length of Drain = 1270 mtrs.

width of Drain with working Space = 2.50 mtr

Area of Drain = 1270 × 2.50 = 3175 m² ≃ 0.32 Hactare.

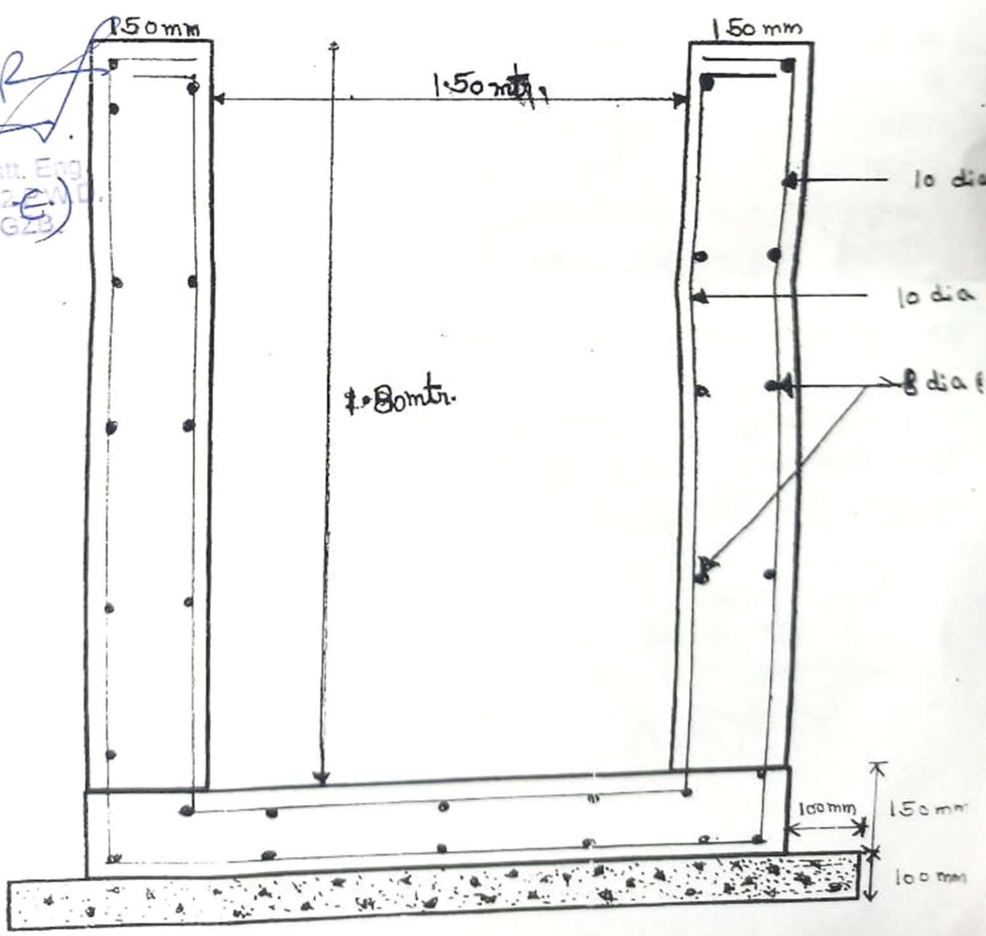

(J.E.)

Asstt. Eng. (A.E.) C.D.-2 P.W.D. GZB.

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

ANNEXURE-II [Forest gazette duly verified by present DFO]

...देश असाधारण गजट, ३१ दिसम्बर, १९७० ई० (पौष १०, १८९२ शक संवत्)

२७ जुलाई, १९७० ई०

सं० १७१५/१४-ख—२०(१४७)-६६—विज्ञप्ति संख्या २३(२)५३/१४-ख-६६, दिनांक १५ मार्च, १९६७ द्वारा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ;

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं ;

अतएव, अब उक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक २८ फरवरी, १९७१ से उक्त भूमि को रक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची

वन ब्लाक—अहमद नगर नवादा

जिला	तहसील	परगना	गांव	खसरा प्लाट नं०	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
	गाजियाबाद	लोनी	अहमद नगर नवादा ब्लाक नं० १		बी० बि० बि०		
				१/१६/८	८५ १ १०		
				२/१	६० ४ ०		
				६	० ७ ०		
		योग	.. ३		८५ १२ १०	५३.५१	
			अहमद नगर नवादा ब्लाक नं० २	१९३	२ १४ ०		
				१९४	९ १४ ०		
				१९५	७ ८ ०		
				१९६	९ ० ०		
		योग	.. ४		२८ १६ ०	१७.८०	
			अहमद नगर नवादा ब्लाक नं० ३	२११/२	२ ९ ०		
				२१२	४ ११ ०		
				२१३	३ २ ०		
				२१४	१ १८ ०		
				२१५	२ २ ०		
		योग	.. ५		१४ २ ०	८.९०	
			अहमद नगर नवादा ब्लाक नं० ४	१९८	६ ५ ०		
				१९९	१७ १४ ०		
				२००	१२ २ ०		
				२०१/१	६ १३ ०		
		योग	.. ४		४२ १४ ०	२६.८०	
		कुल योग	.. १६		१७१ ४ ०	१०७.०१	

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदे...
सा० वा० प्रभा...
गाजियाबाद

Scanned with CamScanner

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

ANNEXURE-III [Project Sanction Letter]

कार्यालय

जिलाधिकारी गाजियाबाद ।

पत्रांक 119 / 21–एल0बी0सी0 / 2020 दिनांक: 21/10/2020

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,लोनी ।

विषयः–नगर पालिका परिषद,लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर0सी0सी0 नाला निर्माण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2654 / न0पा0परि0–लो0गा0 / 2020–21 दिनांक 03.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 71 / 21–एल0बी0 सी0 / 2020 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खंड–2, लो0कन0वि0 गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आंगणन के सम्बंध में लिखा गया है ।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 05.12. 2019 को विकास कार्यो की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । सी0एंड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद के आंगणन का परीक्षण, मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद से कराने पर उनकी टिप्पणी दिनांक 27.05.2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग से कराने पर, लोक निर्माण विभाग की आख्या दिनांक 08.06.2020 के द्वारा सी0एंड0डी0एस0 की लागत अधिक बताये जाने पर, वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्रतिपादित मितव्ययता के सिद्वांतों के अनुसार, राजकीय धन का अपव्यय रोकने के उददेश्य से जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2020 के द्वारा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग से कराने सम्बंधी निर्देश दिये गये हैं।

चूँकि उपरोक्त की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान की जा चुकी है, अतः यह धनराशि आपके निस्तारण में है, और इस कार्यालय द्वारा किसी निर्देश की आवश्यकता नही है । अतः इस प्रकरण में अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये ।

(कमलेश चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) / .
व0प्र0अ0स्थ0नि0
गाजियाबाद ।

Asstt. Engr.
CD-2 P.W.D.
GZB.

Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

ANNEXURE-IV[Standard Conditions]

उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14–3–1980/82 वन अनुभाग–3, दिनॉक–31–12–1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते

1– भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2– प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3– याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4– भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5– हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6– भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7– हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9– सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10– याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

11– सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर ''एलापइनमेन्ट'' तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण''/लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनॉक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण''/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेर–बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करने याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

Name of Project: **Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad of Uttar Pradesh State'.**

12– वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15– वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

17– उक्त लिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18– वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तो का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं, रमेश चंद्रा, सहायक अभियंता, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी० डब्लू० डी०), ग़ाज़िआबाद (उत्तर प्रदेश) यह प्रमाणित करता हूँ, कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी० डब्लू० डी०), ग़ाज़िआबाद को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक 25.02.2021

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

रमेश चंद्रा,
सहायक अभियंता,
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी० डब्लू० डी०),
ग़ाज़िआबाद